रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243693
CG-DL-E-17022023-243693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
No. 717] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 747(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार "आतंकवादी संगठन" से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के रूप में सामान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है ;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)", इस अधिनियम के अधीन विहित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया था;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" एक उग्रवादी ऑउटफिट है और उसका उद्देश्य पृथक् "खालिस्तान" राज्य की विनिर्मिती के उसके एजेंडे को प्राप्त करने की दृष्टि से पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है और इस प्रकार भारत की राज्यक्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना है;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" आतंकवादी क्रियाकलापों की अभिवृद्धि करता है और अन्वेषण अभिकरणों ने लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न मामलों में उसके काडर की संलिप्तता पाई है;

और, भारत में "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" के सदस्य उनके विदेश आधारित संचालकों से उन्नत हथियारों सहित वित्तीय और रसद सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" का वर्तमान प्रचालन प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर उक्त अधिनियम के अधीन "आतंकवादी" के रूप में अभिहित किया गया है;

और, अन्वेषण अभिकरणों ने विभिन्न आतंकवादी मामलों और प्रमुख व्यक्तियों की हत्याओं में "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" के काडरों की संलिप्तता पाई है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" आतंकवाद में संलिप्त है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"44. खालिस्तान टाईगर फोर्स (केटीएफ) और उसके सभी रूप और फ्रंट संगठन"।

[फा. सं. 11034/07/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 738 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 747(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' came into existence in the year 2011 as an offshoot of Babbar Khalsa International, a proscribed terrorist organisation under the said Act;

And whereas, 'Khalistan Tiger Force (KTF)' is a militant outfit and it aims reviving terrorism in Punjab with a view to achieve its agenda of formation of a separate state 'Khalistan' and thereby challenges the territorial integrity, unity, national security and sovereignty of India;

And whereas, the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' promotes acts of terrorism and the investigation agencies have found involvement of its cadres in various terrorist cases, including targeted killings;

And whereas, the members of the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' in India are receiving financial and logistics support including sophisticated weaponry from their foreign based handlers;

And whereas, Hardeep Singh Nijjar, the current Operational Chief of Khalistan Tiger Force has been designated as 'Terrorist' under the said Act;

And whereas, the investigation agencies have found involvement of cadres of Khalistan Tiger Force in various terrorist cases and assassination of prominent persons;

And whereas, the Central Government believes that the 'Khalistan Tiger Force' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"44. Khalistan Tiger Force (KTF) and all its manifestations and front organisations."

[F. No. 11034/07/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O.738(E)., dated the 17th February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA